



न्यायालय :- श्री अरूण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क. सी/1455 जबलपुर, दिनांक 19.06.2020 एवं क. ए/1382 जबलपुर दिनांक 12.06.2020 द्वारा सर्कुलर क्रमांक क्यू 05 दिनांक 25.03.2020 एवं बी/1880 दिनांक 30.05.2020 तथा क्यू 13 दिनांक 17.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों की दिनांक 27.06.2020 तक लाकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **22.06.2020** से **27.06.2020** तक **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेध आज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	22.06.2020	10.08.2020
2.	23.06.2020	11.08.2020
3.	24.06.2020	13.08.2020
4.	25.06.2020	14.08.2020
5.	26.06.2020	17.08.2020
5.	27.06.2020	18.08.2020


(अरूण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
 प. नि. मण्डलेश्वर

न्यायालय: प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश प.नि. मण्डलेश्वर म.प्र.

क्रमांक 244

मण्डलेश्वर, दिनांक:-19.06.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
प.नि. मण्डलेश्वर (म.प्र.)

विषय :- मध्यप्रदेश की जेलों एवं माननीय न्यायालयों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) पेशी से प्रकरणों की सुनवाई की प्रगति की समीक्षा बाबत।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक Reg(II) (SA)/2020/501 Jabalpur, Dated:- 16-03-2020 एवं कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक 1187/21-कम्प्यूटर अनु./20 मण्डलेश्वर, दिनांक 13.06.2020।


—00—

माननीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मण्डलेश्वर के न्यायालयों एवं उपजेल मण्डलेश्वर के मध्य होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2019 में वी.सी. का 33 प्रतिशत से कम उपयोग किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:-

1. मेरे द्वारा जिला स्थापना मण्डलेश्वर में दिनांक 27.07.2018 को प्रशिषु न्यायाधीश, दिनांक 25.02.2019 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दिनांक 21.08.2019 को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा दिनांक 25.01.2020 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदभार ग्रहण किया गया था।
2. दिनांक 25.02.2019 को पदभार ग्रहण किये जाने के उपरांत नवनिर्मित न्यायालय होने एवं उसी न्यायालय में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्य किया गया। उक्त न्यायालय कक्ष में वी.सी. सेटअप उपलब्ध नहीं था, जिस कारण जेल से अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति ही सुनिश्चित कराई जाती थी।
3. माह दिसंबर-2019 तक वी.सी. सेटअप वाला न्यायालय कक्ष परिवर्तित नहीं होने से प्रतिदिन लगने वाले प्रकरणों में जेल से अभियुक्त की पेशी वी.सी. के माध्यम से यथा अपेक्षित नहीं कराई जाती थी।

तदनुसार रिपोर्ट माननीय महोदय की ओर सादर प्रेषित है।



प्रवीण हजारे)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
प.नि. मण्डलेश्वर(म.प्र.)

न्यायालय: श्रीमती संगीता डावर मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
प०निमाड- मण्डलेश्वर(म०प्र०)

जा०क्र०-352/आप०

मण्डलेश्वर, दिनांक 22-06-2020

॥ आम सूचना ॥

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक C/1455 जबलपुर दिनांकित, 19-06-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में दिनांक 27-06-2020 तक विस्तारित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लम्बित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिती सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल अंतिम तर्क से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी तथा रिमाण्ड व जमानत सम्बन्धी प्रकरणों की एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ, दिनांक 27-06-2020 तक स्थगित रहेंगी।

दिवानी एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में नियत दिनांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक	अण्डरट्रायल प्रकरण	ग्राम न्यायालय में लम्बित प्रकरण
01	22-06-2020	15-07-2020	-	03-07-2020
02	23-06-2020	16-07-2020	-	-
03	24-06-2020	17-07-2020	-	-
04	25-06-2020	20-07-2020	-	-
05	26-06-2020	21-07-2020	-	06-07-2020

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारण को सूचित हों।

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प० नि० मण्डलेश्वर (म० प्र०)

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर.

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक C/1455 दिनांक 19-06-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी.सी. के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 22.06.2020 से 27.06.2020 तक इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	22.06.2020	27.07.2020
2.	23.06.2020	28.07.2020
3.	24.06.2020	29.07.2020
4.	25.06.2020	30.07.2020
5.	26.06.2020	31.07.2020
6.	27.06.2020 शनिवार	04.08.2020
7.	28.08.2020 रविवार अंबकाश

**तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण
सूचित हों।**

J. K. Sharma
(साधना माहेबरी) 22/6/2020
विशेष न्यायाधीश,

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

